प्रशान्त कुमार,
आई0पी0एस0

डीजी परिपत्र संख्या-24/2024

पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ।
दिनांकःलखनऊःमई 15,2024

विषयः प्रदेश में मानव तस्करी तथा अपहरण की घटनाओं से सम्बन्धित तथा असामाजिक तत्वों द्वारा करायी जा रही भिक्षावृत्ति पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/महोदया,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों, बाजार-स्थलों, मुख्य चौराहों, धार्मिक स्थलों आदि स्थानों पर बच्चों, बालिकाओं व महिलाओं आदि के माध्यम से कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा भिक्षावृति कराई जाती है। इसके अतिरिक्त इन लोगों द्वारा गाड़ियों के शीशे साफ करना या अत्यन्त छोटी सामग्रियों का चौराहों पर रुके वाहनों में विभिन्न सामग्रियों के विक्रय का प्रयास भी किया जाता है। कई प्रकरणों में संगठित रूप से बच्चों का अपहरण कर उनको भिक्षावृत्ति जैसे कृत्यों में संयोजित करने जैसी घटनायें भी प्रकाश में आयी हैं। संगठित रूप से इस प्रकार के भिक्षावृत्ति रैकेट चलाने वाले तथा मानव तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक तत्वों को चिन्हित करते हुये उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही की जाये, जिससे इस प्रकार की घटनाओं को रोका जा सके। इस सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्यवाही अपेक्षित हैः-

- मानव तस्करी तथा बच्चों के अपहरण जैसी घटनाओं को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुये पूर्ण अनावरण, गिरफ्तारी तथा यथाशीघ्र बरामदगी सुनिश्चित की जाये। राजपत्रित अधिकारियों के नेतृत्व में समस्त सम्बन्धित से गहन पूछ-ताछ कर पूछ-ताछ आख्या तैयार की जाये, जिससे उक्त प्रकार की घटनाओं में Modus operandi, Money Trail, गैंग व अभियुक्तों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी , अभिलेखीकरण तथा प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही हो सके।
- समस्त जनपद/कमिश्नरेट में बाल भिक्षावृत्ति, बच्चों की गुमशुदगी/अपहरण से सम्बन्धित विगत वर्षों की घटनाओं व प्रभावित क्षेत्रों का सम्यक विश्लेषण करते हुये हॉट-स्पॉट चिन्हित कर लिये जायें। इन चिन्हित हॉट-स्पॉट्स पर सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कराकर उन्हें क्रियाशील करा लिया जाये।
- चिन्हित हॉट-स्पॉट्स यथा-रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन तथा महत्वपूर्ण चौराहों पर भिक्षावृत्ति हेतु बच्चों व अन्य लोगो को ले आकर छोड़ने वाले तत्वों तथा वाहनों के सम्बन्ध में गहन अभिसूचना संकलन करते हुये इनको चिन्हित कर प्रभावी कार्यवाही की जाये।
- मानव तस्करी तथा अपहरण की घटनाओं से सम्बन्धित भिक्षावृत्ति रैकेटों को चिन्हित करते हुये विगत 10 वर्षों की घटनाओं को सूचीबद्ध कर घटनाओं के पैटर्न का विश्लेषण किया जाये। भिक्षावृत्ति करने वालों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करते हुये भिक्षावृत्ति कराने वाले आपराधिक तत्वों के सम्बन्ध में गहन अभिसूचना संकलन कर प्रभावी विधिसम्मत कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015, धारा-76,363, 370 भारतीय दण्ड संहिता, विभिन्न श्रम विधियों एवं अन्य विधिक उपबन्धों के सम्बन्ध में समस्त पुलिस बल को यथोचित ब्रीफिंग की जाये।

- बाल भिक्षावृत्ति की रोक-थाम हेतु भिक्षावृत्ति में लिप्त परिवारों का समग्र पुर्नवास आवश्यक है। इस हेतु बाल कल्यांण समिति, सम्बन्धित विभागों तथा जनपदीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियम संगत कार्यवाही की जाये। यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समाज के सभी व्यक्तियों के लिए उनकी आवश्यकतानुसार योजनाएं चलाई जा रही हैं। सभी जनपदों में रैन बसेरों व राजकीय शिशुगृह, राजकीय बाल एवं बालिका गृह, राजकीय महिला शरणालय आदि संरक्षण गृह स्थापित किए गए हैं, जहाँ इनकी देख रेख किए जाने एवं पुनर्वास किए जाने की व्यवस्था रहती है। अतः इस सम्बन्ध में समन्वित व समग्र प्रयास अपेक्षित है।
- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम-2015, धारा-76,363, 370 भारतीय दण्ड संहिता, विभिन्न श्रम विधियों एवं अन्य विधिक उपबन्धों के सम्बन्ध में समस्त पुलिस बल को यथोचित ब्रीफिंग की जाये।
- बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु जनपद/कमिश्नरेट में सक्रिय जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन, गैर सरकारी संगठनों व स्वयंसेवी संस्थाओं तथा उनके पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करते हुये उनके साथ सार्थक सम्वाद स्थापित किया जाये, जिससे बाल भिक्षावृत्ति कराने जैसी गतिविधियों में संलिप्त आपराधिक तत्वों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हो सके। उक्त संगठनों को आम जन-मानस को इस सम्बन्ध में जागरूक करने हेतु प्रेरित किया जाये। बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम हेतु उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकृत स्वयंसेवी संस्थाओं तथा व्यक्तियों को प्रोत्साहित व सम्मानित कराया जाये।

3- अतः आपसे अपेक्षित है कि अपने कमिश्नरेट/जनपद में मानव तस्करी तथा अपहरण की घटनाओं से सम्बन्धित भिक्षावृत्ति को रोकने हेतु समन्वित व समग्र प्रयास सुनिश्चित किया जाये। उक्त समस्त बिन्दुओं पर प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाये, जिससे इस प्रकार की घटनाओं व गतिविधियों पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित किया जा सके।

भवदीय

15-5-24.

(प्रशान्त कुमार)

समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
प्रभारी जनपद, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नांकित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-समस्त जोनल पुलिस महानिदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
2-अपर पुलिस महानिदेशक, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, उ0प्र0 लखनऊ।
3-अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज/यूपी-112, उ0प्र0 लखनऊ।
4-अपर पुलिस महानिदेशक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ।
5-अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उ0प्र0 लखनऊ।
6-अपर पुलिस महानिदेशक, अभिसूचना, उ0प्र0 लखनऊ।
7-समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।